# क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सन्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६

**प्रस्तावना:**

नेपालमा क्षयरोग जनस्वास्थ्यको एक मुख्य समस्याका रुपमा रहेकोछ । क्षयरोग नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकता (P1) मा रहेको कार्यक्रम हो । क्षयरोगका बिरामीमा औषधी प्रतिरोध क्षमता विकास (DR TB) भएर उपचार जटिल भई लामो समयसम्म (९ देखि २४ महिना सम्म) स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधी खानुपर्ने तथा त्यस्ता बिरामीहरुलाई जटिलता देखिएमा अस्पतालको शैयामा छुट्टाछुट्टै राखेर एकिकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुने भएकोले तथा त्यस्ता बिरामीहरुको अस्पतालबाट बसोवास स्थल टाढा भएका कारण दैनिक उपचार लिन कठिनाई हुने भएको साथै अस्पतालमा पनि छट्टै राखी उपचार गर्ने कक्ष (वार्ड) र आवासीय सेवा उपलब्ध नभएका कारण आवासीय सुविधा सहित क्षयरोग उपचार सेवा एकिकृत रुपमा उपलब्ध गराउने केन्द्र स्थापना गर्न नेपाल सरकारको राष्ट्रिय रणनीतिक योजना अन्तर्गत राष्ट्रिय क्षयरोग रणनीति योजना २०१६ देखि २०२१ मा DR TB प्रेषण केन्द्र प्रत्येक प्रदेशमा स्थापना गर्ने रणनीति लिए बमोजिम स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को दफा ७ को उपदफा १० र २६ बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशले यो निर्देशिका जारी गरेको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:**(१) यस निर्देशिकाको नाम "क्षयरोग उपचार प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका,२०७६" रहेको छ ।

(२) यो निर्देशिका सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मिति देखि लागू हुनेछ।

२. **परिभाषा:** विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,-

(क) "मन्त्रालय" भन्नाले सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ख) "केन्द्र" भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन भएको "क्षयरोग उपचार प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन केन्द्र" सम्झनु पर्छ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुवेदी
मन्त्री

(ग) "उप-केन्द्र" भन्नाले यस निर्देशिका बमोजिम प्रदेशमा अन्य ठाउँमा थप उप केन्द्र आवश्यक भएमा केन्द्रको मातहतमा रहेने गरी सरकारी तथा सामुदायीक अस्पतालहरुमा DR TBको उपचार तथा प्रेषणका लागि स्थापना भएको "क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण व्यवस्थापन उप-केन्द्र" सम्झनु पर्छ ।

(घ) "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले स्थापना गरेका अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्चालन तथा स्तरोन्नती सम्बन्धी मापदण्ड,२०७१ बमोजिम स्थापना भएका सामुदायिक अस्पताल, निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिकलाई समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "क्षयरोग उपचार केन्द्र" भन्नाले क्षयरोग तथा औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग उपचार सेवा उपलव्ध गराउने स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ । सो शब्दले औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग उपचार उप केन्द्र समेतलाई जनाउनेछ ।

(च) "बिरामी" भन्नाले फोक्सो वा फोक्सो बाहेक अन्य अंगमा क्षयरोगका किटाणु (Mycobacterium Tuberculosis) को संक्रमण भएका क्षयरोगका बिरामीलाई सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगी (क्षयरोगको पहिचान भई तोकिएका औषधी खाईरहेको बिरामी वा शंकास्पद क्षयरोगीमा क्षयरोग उपचारमा प्रयोगहुने आईसोनियाजाईड र रिफाम्पीसिन लगायतका औषधीले काम गर्न नसक्ने अवस्था) लाई समेत सम्झनुपर्छ ।

(छ) "भवन संहिता" भन्नाले भवन ऐन,२०५५को दफा ३ को उपदफा(२) बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भवन संहिता सम्झनु पर्छ ।

(ज) "भवन निर्माण मापदण्ड" भन्नाले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई सम्झनु पर्छ ।

(झ) "समिति" भन्नाले केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यलाई सहज रुपमा प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक निगरानी, अनुगमनका साथै सहयोग तथा सुझाव दिनका लागि यस निर्देशिका बमोजिम गठित अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ।

३. <u>केन्दको स्थापना:</u>(१) क्षयरोगका बिरामीलाई सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपचार प्रदान गर्नका लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेशमा यस निर्देशिकामा उल्लेखित मापदण्ड बमोजिमको कम्तिमा एक वटा क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सक्नेछ। साथै आवश्यक भएको खण्डमा उप-केन्द्र समेत स्थापना गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(२) केन्द्र स्थापना हुने उपयुक्त स्थानको छनौट स्थानीयतहको समन्वयमा मन्त्रालयले गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) अनुसारको स्थान छनोट गर्दा केन्द्रिय अस्पताल, मेडिकल कलेज, सेती प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, महाकाली अस्पताल, टिकापुर अस्पताल लगायतका अन्य विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अन्य स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार रेफर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको स्थान छनौट गर्नुपर्नेछ ।

४. <u>केन्द्रबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरुः</u>(१) केन्द्रबाट देहाय बमोजिमका क्षयरोगसंग सम्बन्धित सेवाहरु उपलब्ध गराउनु पर्नेछः-

(क) आकस्मिक सेवा

(ख) बहिरंग सेवा

(ग) अन्तरंग सेवा

(घ) निदानात्मक सेवा

(ङ) प्यालेटिभ केयर सेवा

(च) आवासीय सुविधा

(छ) स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सेवा (स्वास्थ्य शिक्षा, व्यायम, योग, संगित, नृत्य थेरापी, फिजियोथेरापी, परामर्श, व्यवहार परिवर्तन तथा संचार सेवा आदि)

(ज) प्रदेशमा रहेका उप-केन्द्र, DR TB Center र Sub Centerहरुको गुणस्तर मापन, अनुगमन गर्ने, क्षयरोग/ बहु औषधी प्रतिरोधी क्षयरोग सम्बन्धित आवश्यक पर्ने औषधी आपूर्ति लगायतका व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित सेवाको अतिरिक्त केन्द्रले देहायका कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्न सक्नेछः

(क) आय आर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम,

(ख) स्वास्थ्य शिक्षा तथा तालीम सम्बन्धी कार्यक्रम,

(ग) क्षयरोग रोग सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम,

(घ) ट्रपिकल रोग, नेग्लेक्टेड ट्रपिकल रोग, महामारीजन्य रोग, प्राकृतिक प्रकोपजन्य रोग लगायतका सम्बन्धित कार्यक्रम,

(ङ) प्रदेश स्तरीय क्षयरोग जांच सम्बन्धी गुणस्तरीय मापन,

(च) अपाङ्गता तथा फिजियोथेरापी सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुवेदी
मन्त्री

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) को सेवा देहाय बमोजिमका औषधी प्रतिरोधी क्षयरोगका बिरामीहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछः-

(क) सिकिस्त अवस्थाका बिरामीहरु,

(ख) Sputum Positive बिरामीहरु,

(ग) उपचारमा प्रयोग गरिएका औषधीहरुका कारण बारम्बार प्रतिकूल असर देखा परिरहने बिरामीहरु (Serious Adverse Events),

(घ) सहरुग्णता (Co-Morbidity), सहसंक्रमण (TB/HIV Co-Infection) भएका बिरामीहरु,

(ङ) ७० बर्ष भन्दा माथिको उमेर समूहका बिरामीहरु,

(च) शारीरिक र मानसिक रुपले असक्त बिरामीहरु,

(छ) परिवारमा हेरचाह गर्ने कोही नभएका बिरामीहरु,

(ज) क्षयरोगका कारण परिवारबाट अपहेलित बिरामीहरु,

(झ) क्षयरोग उपचार केन्द्र तथा उपकेन्द्रबाट यातायातको सुबिधा नभएको स्थानमा पैदल ३० मिनेट भन्दा टाढा घरभएका बिरामीहरु

(ञ) असाहय, वेवारिसे तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पिडित बिरामीहरु

(ट) सिकलसेल एनेमिया र थालसेमिया रोग लागेका क्षयरोगका बिरामीहरु

(ठ) क्षयरोग लागेका अपाङ्गता भएका बिरामीहरु

(४) क्षयरोग सक्रमण भई भर्ना भएका तथा आवासगृहमा बसेका क्षयरोगका बिरामीलाई मुटु, पेट, नाक, कान, घाटी, हाड-जोर्नी, आखाँ लगायत अन्य समस्या भएमा सो रोगसंग सम्बन्धित विशेषज्ञको सेवा चाहेका बखत उपलब्ध हुनेगरी बिशेषज्ञ चिकित्सक वा अस्पतालसंग केन्द्रले सम्झौता गरी उपचार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा(१) बमोजिमका सेवा तथा उपदफा(४) बमोजिमको विशेषज्ञ सेवा बिरामीलाई निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(६) उपदफा(१) बमोजिमको सेवा बिरामीलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ। तर क्षयरोगको शंका भएका छाती रोगका अन्य बिरामीलाई दफा ४ उपदफा (१)को खण्ड (क),(ख),(ग),(घ) बमोजिमका सेवा निःशुल्क दिनुपर्नेछ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

५. **जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्था:** (१) केन्द्रबाट सेवा सन्चालन गर्नको लागि आधारभूत रुपमा देहाय बमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछः-

| क्र.सं. | पद | संख्या | तह | योग्यता | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १. | निर्देशक | १ | ९/१० | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट MD वा MPH (MBBS) वा Tropical Medicine (MBBS) मा स्नातकोत्तर उतिर्ण | सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको |
| २. | पल्मोनोलोजिष्ट | १ | ९/१० | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण | |
| ३. | माइक्रोबायोलोजिष्ट | १ | ९/१० | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रयोगशाला विषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण | |
| ४. | मेडिकल अफिसर | २ | ८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा विषयमा स्नातक तह उतिर्ण | |
| ५. | स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत | १ | ७/८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा बिषयमा स्नातक तह वा पोस्टग्राजुएट डिप्लोमा उतिर्ण | |
| ६. | जनस्वास्थ्य अधिकृत | १ | ७/८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक तह उतिर्ण | |
| ७. | अस्पताल ब्यवस्थापन अधिकृत | १ | ७/८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अस्पताल ब्यवस्थापन विषयमा स्नातक तह उतिर्ण | |
| ८. | मेडिकल प्रयोगशाला अधिकृत | १ | ७/८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रयोगशाला विषयमा स्नातक तह उतिर्ण | |
| ९. | नर्सिङ्ग अधिकृत | १ | ७/८ | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ्ग विषयमा स्नातक तह उतिर्ण | |
| १०. | स्टाफ नर्स | ३ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ्ग विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| ११. | हेल्थ असिस्टेन्ट | ३ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सामान्य चिकित्सा विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| १२. | ल्याव टेक्निसियन | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रयोगशाला विषयमा प्रमाण पत्रतह उतिर्ण | |
| १३. | रेडियोग्राफर | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेडियोग्राफी विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| १४. | फार्माशिष्ट सहायक | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| १५. | खाना सहायक (Dietery Assistant) | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| १६. | फिजिओथेरापी सहायक | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | ,, |
| १७. | नायब सुब्बा (प्रशासन) | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाण पत्रतह उतिर्ण | |
| १८. | लेखापाल (आर्थिक प्रशासन) | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रमाण पत्र तह वा | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | सो सरह उतिर्ण | |
| १९. | मेडिकल रेकर्डर (दर्ता, रेकर्डिङ्ग तथा रिपोर्टिङ्ग) | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र तह उतिर्ण | |
| २०. | स्टोर किपर | १ | ५औं | मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विषयमा प्रमाण पत्र उतिर्ण | |
| २१. | अ.न.मी. | २ | ४औं | मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट अ.न.मी. विषयमा उतिर्ण | " |
| २२. | अ.हे.व | २ | ४औं | मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट अ.हे.व. विषयमा उतिर्ण | " |
| २३. | सवारी चालक (हेभी र हलुका) | २ | श्रेणी बिहिन | साधारण लेखपढ भई सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त भएको | |
| २४. | ल्याव व्याइ | १ | | साधारण लेखपढ | |
| २५. | कार्यालय सहयोगी | २ | | साधारण लेखपढ | |
| २६. | सुरक्षाकर्मी | २ | | कक्षा ८ उतिर्ण भई शारीरिक तन्दुरुस्त भएको | |
| २७. | भान्सा व्यवस्थापक | २ | | साधारण लेखपढ भई सम्बन्धित काममा दक्षता प्राप्त भएको | |
| २८. | सरसफाईकर्मी (माली) | २ | | साधारण लेखपढ | |
| जम्मा | | ४० | | | |

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बिरामीको चापलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले उल्लेखित जनशक्ति थपघट गर्न वा आवश्यक परेमा विषय विज्ञहरु सेवा करारमा लिन सक्ने छ।

(३) यस निर्देशिका बमोजिम व्यवस्थापन हुने जनशक्तिको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको प्रचलित आर्थिक नियमावली बमोजिम हुनेछ।

(४) केन्द्रको आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार परिश्रमिक भन्दा बढी पारिश्रमिक तथा सुविधा दिनु पर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएमा औचित्य र कारण पुष्टी भएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरी सम्झौता अनुसार थप सुविधा दिन सकिनेछ।

(५) उल्लेखित सबै पदहरुको पदपूर्ति तथा कार्य विवरण सम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यविधिमा तोके बमोजिम हुनेछ।

६. <u>बिरामीलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्डः</u> (१) केन्द्रमा आकस्मिक सेवा सञ्चालनका लागि कम्तीमा २ बटा बेड सहितको छुट्टै आकस्मिक कक्षको व्यवस्था हुन पर्नेछ ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(२) सिकिस्त अवस्थाका बिरामीलाई भर्ना गरी उपचार गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरंग सेवा सञ्चालन गर्न बढीमा १५ शैयाको कक्षको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ। बिरामीको संख्याको आधारमा आवश्यक्तानुसार शैयाको संख्या पनि थपघट गर्न सकिने छ ।

(३) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिमको आवासीय सुबिधा उपलब्ध गराउदा बिरामीको अवस्था (MDR, PreXDR, XDR, Sputum Positive, Sputum Negative) अनुसार र महिला पुरुषका लागि छुट्टा-छुट्टै कोठाको प्रबन्ध हुनु पर्नेछ ।

(४) दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिमका बिरामीलाई उपचार दिनु पर्ने अवधीसम्म बसोवासको व्यवस्था गर्ने प्रयोजनका लागि बढीमा २० जना बिरामी अटाउने आवासीय सुविधाको प्रवन्ध भएको हुनु पर्नेछ ।

(५) केन्द्रले क्षयरोगसंग सम्बन्धित थप स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक सेवा तथा प्रयोगशाला गुणस्तर मापन तथा अध्ययन अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम संचालन गर्न सक्नेछ ।

(६) केन्द्रले सेवा सञ्चालन गर्दा देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायमा उल्लेखित मापदण्डहरुको समेत पालना गरेको हुनु पर्नेछः-

(क) बहिरंग विभागमा आउने बिरामीको चापका आधारमा बिरामी दर्ता, निदानात्मक सेवा, औषधी वितरण, स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श कक्षमा छिटो छरितो सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,

(ख) केन्द्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्ड बमोजिम संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था तथा जोखिम युक्त फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रबिधिको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ,

(ग) केन्द्रबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु र समय (दिन र बार खुल्ने गरी) नागरिक वडापत्र सवैले देख्ने ठाउँमा राखिएको हुनु पर्नेछ,

(घ) केन्द्र परिसर तथा सेवा दिने कक्षहरु नियमित रुपमा सफा सुग्घर राखिएको हुनु पर्नेछ,

(ङ) केन्द्रमा सवैले देख्ने स्थानमा गुनासो पेटिका राखिएको हुनु पर्नेछ,

(च) बिरामी बडापत्र (Patient Charter) केन्द्रको अग्र भागमा देखिने गरी राख्नु पर्नेछ र सोही अनुरुप सेवाको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ,

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(छ) केन्द्र सञ्चालन हुने स्थानमा फुलबारी, बगैचाको लागि प्रशस्त ठाउँ भएको तथा वायु, धुलो, ध्वनि तथा जल आदि प्रदुषण मुक्त हुनु पर्नेछ,

(ज) केन्द्र रहेको स्थान सार्वजनिक सडक यातायातको सुविधा भएको हुनु पर्नेछ,

(झ) पानी, बिजुली र सञ्चार सुविधा चौविसै घण्टा उपलब्ध हुनु पर्नेछ,

(ञ) क्षयरोग उपचारमा प्रयोग हुने औषधी तथा अन्य औषधी चौविसै घण्टा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,

(ट) भवनको छतको उचाई १२ फिट तथा कोठाहरुमा हावा ओहोर दोहोर हुने गरी उपयुक्त भेन्टिलेशनको लागि प्रयास झ्यालहरु भएको हुनु पर्नेछ,

(ठ) जीन एक्सपर्ट कक्ष तथा औषधी भण्डार कक्ष वातानुकुलित तथा मुसा किराको नपस्ने हुनु पर्नेछ,

(ड) एक्स्जर्स्ट फ्यान करिडोर भन्दा विपरित दिशा तिर फर्केको हुनु पर्नेछ,

(ढ) फरक क्षमता भएका (अपांगता) व्यक्ति तथा असक्त, जेष्ठ नागरिक सजिलै जान सक्ने वा ह्विल चेयर जान सक्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ,

(ण) एम्बुलेन्स तथा सव बहान सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थासंग आवश्यक परेका बखत अग्राधिकारमा रही उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको हुनु पर्नेछ, (सव बहान सेवा आवश्यक परेमा केन्द्रले निःशुल्क सेवाका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ)

(त) एम्वुलेन्स, दमकल लगायतका बिरामी, कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरुको सवारी साधन पार्किङ लागि प्रयास स्थान हुनु पर्नेछ,

(थ) केन्द्रमा प्रतिक्षालय, चमेना गृह, लुगाधुने कक्ष, कर्मचारी आवास गृह, जेनेरेटर कक्ष आदिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ,

(द) बिरामीलाई पायक पर्ने स्थानमा महिला पुरुष XDR / DR बिरामीका लागी सम्भव भए सम्म छुट्टाछुट्टै शौचालय तथा स्नानघर व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,

(ध) केन्द्र रहने स्थान पानी नजम्ने र ढलको सुविधा भएको हुनु पर्नेछ,

(न) छुट्टै स्तनपान कक्षको ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,

(प) छुट्टै स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कक्षको (स्वास्थ्य शिक्षा, योग, संगित तथा नृत्य थेरापी तथा परामर्श सेवा) ब्यवस्थापन गरी नियमित स्वास्थ्य शिक्षा, व्यायम, योग, संगित तथा नृत्य थेरापी सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ,

प्रदेश सचिव

कृष्णहरि सुबेदी
मन्त्री

(फ) बिरामीहरुका लागि सबैले देख्न सक्ने स्थानमा आइ.इ.सी. कर्नर (डिजिटल तथा अन्य), टि.भि. तथा इन्टरनेट सुबिधाको ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,

(ब) केन्द्रबाट उत्पादित सबै किसिमका फोहरहरुको व्यवस्थापन मापदण्ड अनुरुप गर्नु पर्नेछ।

७. <u>केन्द्रको जग्गा तथा भवन सम्बन्धी व्यवस्था:</u> (१) केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि मापदण्ड बमोजिमका कोठाहरु भएको आफ्नै भवन हुनु पर्नेछ ।

(२) केन्द्र स्थापनाका लागि कम्तिमा तराईको हकमा एक विगाहा, पहाड र हिमालको हकमा ५/५ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा हुनु पर्नेछ ।

(३) केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था स्थानीय तहको समन्वयमा मन्त्रालयले गर्नु पर्नेछ ।

(४) केन्द्र स्थापनाको लागि नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा सो प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापनि आफ्नै भवन निर्माण नहुन्जेल वा तत्काल भवन निर्माण गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा तोकिएको मापदण्ड अनुसारका दफा ९ र १० बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

(६) केन्द्रको भवनको नक्सा र डिजाईन भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा भएको व्यवस्था अनुरुप स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ ।

(७) केन्द्रको लागि निर्माण गरिने भवन अनुसूची १ बमोजिमको कोठा व्यवस्थापन भएको हुनु पर्नेछ ।

८. <u>औजार उपकरण तथा अवास सम्बन्धी व्यवस्था:</u> (१) केन्द्रमा रहने बहिरंग, अन्तरंग, एक्सरे तथा प्रयोगशाला कक्षका लागि अनुसूची २मा उल्लेख भए बमोजिमका औजार उपकरणहरुको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

(२) केन्द्रको कार्यालय, भण्डार कक्ष, भान्सा घर, तालिम/सभा कक्ष र अवासीय कक्ष आदिका लागि अनुसूची ३ बमोजिमका सामग्री तथा फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

९. <u>साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था:</u> (१) यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भएतापनि मन्त्रालय आफैले केन्द्रको स्थापना नगरे सम्मको लागि यस निर्देशकामा उल्लेखित मापदण्ड तथा शर्तको अधिनमा रहने गरी सामुदायिक तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थासंग मन्त्रालयले साझेदारी गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(२) उपदफा (१) बमोजिमको साझेदारीको शर्त बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित साझेदारीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

१०. <u>सरकारी, सामुदायिक तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाबाट केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः</u> (१) मन्त्रालयले सरकारी तवरबाट केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गर्न नसक्ने भएमा, सामुदायिक तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमती दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना तथा सञ्चालन हुने केन्द्रले यस निर्देशिकामा उल्लेखित सम्पूर्ण मापदण्डहरु पुरा गरेको हुनु पर्नेछ ।

११. <u>अनुमति लिनु पर्नेः</u> (१) यस निर्देशिका बमोजिमको प्रि या पुरा गरी दफा (१०) बमोजिम केन्द्र सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी, सामुदायिक तथा गैह्र सरकारी संघ संस्थाले मन्त्रालयमा अनुमतिको लागि आवश्यक कागजात संलग्न राखी आवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) र उपदफा (५) बमोजिम परेका आवेदकहरुको स्थलगत निरिक्षणका लागि मन्त्रालयले अनुगमनका लागि दफा (१८) बमोजिम गठित अनुगमन समितिलाई अनुगमन टोली पठाउनेछ ।

(३) अनुगमन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी अनुमति प्रदान गर्न उपयुक्त भए नभएको राय सहितको प्रतिवेदन एक्काईस दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि यस निर्देशिका बमोजिमका मापदण्ड पूरा गरेको संस्थालाई मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिसमा पाँच वर्षको लागि सञ्चालन अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको संस्थाहरुले यो निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रबाट केन्द्रको निर्णय भइसकेको हकमा क्षयरोग उपचार तथा प्रेषण व्यवस्थापन गर्ने संस्थाले समेत सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिइ अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। साथै, यो निर्देशिका तयार गर्नु अगाडी भएको कार्य प्रगतिको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने छ र सो लाई नै कार्य प्रगतिको आधारमा निरन्तरता दिन सकिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमका निवेदकको यस निर्देशिका बमोजिमको मापदण्ड तथा पूर्वाधार पुरा नभएको भएमा त्यस्तो संस्थालाई यस निर्देशिका बमोजिम तोकेको पूर्वाधार पुरा गर्नका लागि दुई वर्षको समयावधि दिनु पर्नेछ ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(७) उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिको लागि निवेदन नदिने, निवेदन दिए पनि अनुमति नपाउने वा निर्धारित अवधि भित्र मापदण्ड पुरा नगर्ने संस्थाको अनुमति स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले रद्द गर्न सक्नेछ ।

१२. <u>सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः</u> (१) केन्द्रमा उपचारका लागि आएका क्षयरोगका बिरामीहरुलाई उपचार तथा आवास सेवा निःशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) क्षयरोगका बिरामी बाहेकका अन्य उपचारमा आउने बिरामीको हकमा मन्त्रालयको समन्वयमा केन्द्रले शुल्क तोक्न सक्नेछ ।

१३. <u>संक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाः</u> (१) केन्द्रले सेवा सञ्चालन गर्दा संक्रमण नियन्त्रणका लागि देहायको गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुका साथै देहायमा उल्लेखित मापदण्डहरुको समेत पालना गरेका हुनु पर्नेछः-

(क) खकार पोजेटिभ भएका क्षयरोगका बिरामीलाई भर्ना गर्दा या आवासीय सेवा उपलब्ध गराउदा एउटा कोठामा बढीमा ४ बेड र एउटा बेड देखि अर्को बेडसम्मको दुरी कम्तीमा ६ फिट भएको ।

(ख) खकार नेगेटिभ भएका क्षयरोगका बिरामीलाई भर्ना गर्दा या आवासीय सेवा उपलब्ध गराउदा एउटा कोठामा बढीमा ६ बेड र एउटा बेड देखि अर्को बेडसम्मको दुरी कम्तीमा ४ फिट भएको ।

(ग) बिरामी बस्ने आवासीय कक्ष वा अन्तरंग कक्षमा साँझपख २ घण्टा सम्म युभी लाईट बाल्नु पर्दछ । यसरी युभी लाईट बाल्दा बिरामीलाई बाहिर राख्नु पर्दछ ।

(घ) एक्सरे कक्षको भित्ता बाक्लो हुनु पर्दछ, यदि भित्ता पातलो भएमा भित्ता, झ्याल र ढोकामा १ एम.एम. सिसा लगाउन पर्दछ ।

(ङ) कन्ट्रोल रुम अलग्गै र पारदर्शी सिसाको झ्याल भएको हुनु पर्दछ । साथै, लुगा फुकाल्ने कोठा एक्सरे कक्ष भन्दा अलग्गै हुनु पर्दछ ।

(छ) प्रयोगशाला कक्षमा अनिवार्य रुपमा संक्रमण रोकथामका लागि व्यवस्था हुनु पर्नेछ।

(ज) प्रयोगशालाबाट निसक्ने चिकित्साजन्य फोहोर निर्मलीकरण (Disinfection) गरेर मात्र बाहिर पठाउन व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(झ) बिरामीको उपचार गर्दा अनुसुची २ बमोजिम क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण मापदण्ड अनुसारको मापदण्ड अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

(ञ) खोकी लागेको र नलागेको बिरामी अलग अलग बस्ने (Cough Triage) व्यवस्था हुनु पर्दछ र सोही अनुसार अलग-अलग जाँच गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

(ट) बिरामीका आफन्त भेट्न आउदा सकेसम्म बाहिर भेटने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

(ठ) ईमरजेन्सी, अन्तरंग, बहिरंग, प्रयोगशाला, एक्सरे, औषधी वितरण कक्ष आवासीय क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई N95 मास्क उपलब्ध हुनु पर्दछ ।

(ड) खकार संकलन कक्ष, फोहोर व्यवस्थापन कक्ष र प्रयोगशाला कक्ष नजिक हुन पर्दछ ।

(ढ) फोहोर व्यवस्थापन कक्ष अलग्गै स्थानमा खुला तर ताला बन्द भएको हुन पर्दछ र पानीको मुहान भन्दा ५० मिटर टाढा हुनु पर्दछ ।

१४. <u>अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः</u> (१) केन्द्रको काम कारवाही, सेवाको गुणस्तर, औषधी, औजार उपकरण तथा अन्य सामग्री, जनशक्ति तथा आवासीय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, दफा (१८) बमोजिम गठित अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित स्थानिय पालिकाले समय समयमा केन्द्रको अनुगमन गर्न सक्नेछन।

१५. <u>निर्देशन दिन सक्नेः</u> (१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भएतापनि केन्द्रको काम कारवाही सेवाको गुणस्तर तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोधको व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बन्धमा मन्त्रालयले आकस्मिक निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ ।

१६. <u>लेखा परिक्षण र प्रतिवेदनः</u> (१) केन्द्रले प्रदान गरेको क्षयरोग निदान तथा उपचार सेवाको अभिलेख मन्त्रालयले तोके बमोजिमको ढाँचामा राखी मासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) केन्द्रको वार्षिक आर्थिक कार्यको विवरण प्रदेश सरकारको लेखा प्रणाली अनुसार मान्यता प्राप्त लेखा परिक्षकबाट लेखा परिक्षण गराउनु पर्नेछ र उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।



प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

१७. <u>आर्थिक व्यवस्थापनः</u> (१) प्रदेश स्तरमा स्थापना तथा सञ्चालन हुने केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्था क्रमिक रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयसंग समन्वय गरी संयुक्त रुपमा संचालन गर्नेछ ।

(२) उपदफा १ मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि थप आर्थिक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको खण्डमा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सम्बन्धित साझेदार संघ संस्थाहरुसंग सम्झौता गरी केन्द्र संचालन गर्न सकिनेछ ।

१८. <u>अनुगमन समिति सम्बन्धी व्यवस्थाः</u> (१) केन्द्रको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन सेवाको गुणस्तर समेतमा सल्लाह सुझाव दिन तथा अनुगमन गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः-

| क्र.सं. | प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालय, संस्था तथा निकाय | पद | संख्या |
|---|---|---|---|
| (क) | प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक | अध्यक्ष | १ |
| (ख) | सामाजिक विकास मन्त्रालय, महाशाखा प्रमुख (चिकित्सा) | सदस्य | १ |
| (ग) | सामाजिक विकास मन्त्रालय, महाशाखा प्रमुख (जनस्वास्थ्य) | सदस्य | १ |
| (घ) | केन्द्र रहेको पालिकाको वडाध्यक्ष | सदस्य | १ |
| (ङ) | प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रतिनिधि | सदस्य | १ |
| (च) | प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रतिनिधि | सदस्य | १ |
| (छ) | सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत | सदस्य | १ |
| (ज) | केन्द्र रहेको स्थानीय पालिकाको स्वास्थ्य संयोजक | सदस्य | १ |
| (झ) | केन्द्र रहेको स्थानीय वडाको म.स्वा.स्वयम सेवक | सदस्य | १ |
| (ञ) | केन्द्र संचालन सहयोगी वा साझेदार संस्था, प्रतिनिधी | सदस्य | १ |
| (ट) | स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वास्थ्य अधिकृत | सदस्य सचिव | १ |

* आवश्कता बमोजिम बैठकमा सम्बन्धित अन्य व्यक्ति तथा बिज्ञहरुलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

(२) समितिको बैठक बर्षमा कम्तिमा ३ पटक बस्नु पर्नेछ तर आवश्यकता परेमा सो भन्दा बढी पटक बैठक बस्न सक्नेछ ।

(३) समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) केन्द्र स्थापना गर्ने उपयुक्त स्थान सिफारिस गर्ने,

(ख) केन्द्रको गुणस्तर अनुगमन गर्ने,

(ग) केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा प्राप्त जन गुनासो व्यवस्थापन गर्ने,

प्रदेश सचिव

(घ) केन्द्र सञ्चालन मापदण्डको पालना भए नभएको निगरानी तथा अनुगमन गर्ने,

(ङ) केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक श्रोतको पहिचान गर्ने,

(च) बिरामीका लागि आय आर्जन तथा सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि समन्वय सहजीकरण गर्ने,

(छ) केन्द्र सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुसंग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने,

(ज) केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आचार-संहिता अनुरुप व्यवहार लागु गर्न लगाउने,

(झ) बिरामीलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी उपचारात्मक तथा आवसीय सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

(४) समितिको वैठक बसे बापतको बैठक भत्ता प्रचलित आर्थिक नियमावली अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

१९. <u>यस निर्देशिकाको व्याख्याः</u> यस निर्देशिकाको प्रयोग सम्बन्धमा कुनै दुविधा उत्पन्न भई व्याख्या गर्नु पर्ने भएमा मन्त्रालयको व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।

२०. <u>निर्देशिका संशोधनः</u> मन्त्रालयले समय समयमा आवश्यकता बमोजिम यस निर्देशिकामा संशोधन, थपघट, हेरफेर गर्न सक्नेछ।

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

## अनुसूची १
(दफा ७ उपदफा (७) संग सम्बन्धित)
**केन्द्रको जग्गा तथा भवन सम्बन्धी व्यवस्था**

| सि.न. | कोठाको विवरण | संख्या | मापदण्ड |
|---|---|---|---|
| १ | नाम दर्ता | १ | |
| २ | प्रतिक्षालय | १ | १ देखि १.५ मीटरको दुरीमा रहने गरी ४ बेञ्च अटाउने |
| ३ | बिरामी जाँच कक्ष | २ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| ४ | इमरजेन्सी कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| ५ | अन्तरंग कक्ष | २ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| ६ | आवास कक्ष महिला Pre-XDR, XDR DR Neg | ३ | बढीमा ६ जना बिरामी बस्न सक्ने, हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको बढीमा चार जना बिरामी बस्न सक्ने तथा आवास मापदण्ड पुरा भएको |
| ७ | आवास कक्ष पुरुष Pre-XDR XDRDR Neg | १ | |
| ८ | आवास कक्ष महिला Pre-XDR Pos | १ | |
| ९ | आवास कक्ष महिला XDR Pos | १ | बढीमा चार जना बिरामी बस्न सक्ने हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको तथा आवास मापदण्ड पुरा भएको |
| १० | आवास कक्ष महिला DR Pos | २ | |
| ११ | आवास कक्ष पुरुष DR Pos | १ | |
| १२ | आवास कक्ष पुरुष Pre-XDR,Pos | १ | |
| १३ | आवास कक्ष पुरुष XDR Pos | १ | |
| १४ | प्रयोगशाला कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| १५ | जीन एक्सपर्ट कक्ष | १ | वातानुकुलित |
| १६ | एक्सरे कक्ष | १ | वातानुकुलित |
| १७ | इ सी जी / यु एस जी कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| १८ | डिस्पेन्सरी कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| १९ | Autoclave Room | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २० | ड्रेसिङ कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएका |
| २१ | नर्सिङ डयूटी कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २२ | चेन्जिङ कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २३ | स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कक्ष (स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श तथा संगीत, नृत्य, योग, व्यायम कक्ष) | २ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएका |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुवेदी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| २४ | निर्देशक कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २५ | डाक्टर कक्ष | २ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २६ | प्रशासन / आर्थिक प्रशासन कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २७ | भण्डार कक्ष | १ | वातानुकुलित |
| २८ | भान्सा (कर्मचारी तथा आवासीय) | २ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| २९ | लुगा धुने कक्ष | १ | पानी नजम्ने, सरसफाई भएको |
| ३० | शौचालय (लैंगिक, बाल तथा अपाङ्गता मैत्री) | १२ | इमरजेन्सी र ओ.पी.डी, अन्तरंग कक्ष, नर्सिङ कक्ष कार्यालय बिरामीका आफन्त आवासीय क्षेत्र |
| ३१ | स्नानघर | ४ | पानी नजम्ने, सरसफाई भएको |
| ३२ | तालीमकक्ष / सभाकक्ष /पुस्तकालय | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको |
| ३३ | चमेना गृह | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो, सरसफाई भएको, बस्न तथा पिउने पानि को व्यवस्था भएको |
| ३४ | धार्मिक आस्था अनुरुप पुजन, भजन प्रवचन तथा प्राथना घरको व्यवस्था | १ | छुट्टै, वरिपरी सरसफाई भएको खुला स्थान तथा पंहुच योग्य भएको |
| ३५. | सानो खेलकुद मैदान | १ | समथर मैदान वरिपरी हरियाली बोट-बिरुवा भएको |
| ३६. | स्वच्छ सफा खाने पानी तथा बिजुलीको व्यवस्था | | २४ सै घण्टा उपलब्ध भएको (आवासीय, कार्यलय तथा बहिरंग सेवा संचालनका लागि) |
| ३७. | स्तनपान कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको, बस्ने सुबिधा भएको |
| ३८. | फिजियोथेरापी कक्ष | १ | हावा ओहोर दोहोर हुने प्रशस्त उज्यालो भएको, फिजियोथेरापी व्यवस्थित गर्न योग्य तथा बस्ने सुबिधा भएको |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी

अनुसूची २

(दफा ८ उपदफा (१) संग सम्बन्धित)

केन्द्रको कार्यालय, भण्डार कक्ष, भान्सा घर, परामर्श, तालिम/सभा कक्ष र अवासीय कक्ष आदिका लागि आवश्यक फर्निचर तथा अन्य सामग्री विवरण

(क) प्रयोगशाला

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Serological water bath | 2 | |
| 2. | Gene Xpert Machine | 1 | |
| 3. | Florescent Microscope | 2 | |
| 4. | Freeze | 1 | |
| 5. | Colorimeter | 2 | |
| 6. | Electronic Balance (0.01 gm) | 2 | |
| 7. | Cooker Stand (Gas +Electric) | 1 | |
| 8. | BSL 1 Cabinet | 2 | |
| 9. | Naubers Counting chamber | 2 | |
| 10. | ESR Tube with stand | 2 | |
| 11. | Micropipettes Variable and fixed | | |
| 12. | Diamond Pencil | 2 | |
| 13. | Test Tube Rack | 4 | |
| 14. | Slide storage box | 6 | |
| 15. | Slide Holding Forceps | 4 | |
| 16. | Test tube holding forceps | 10 | |
| 17. | Reagents bottle | 20 | |
| 18. | Safety box | 10 | |
| 19. | Needle destroyer | 4 | |
| 20. | UV Lights | | |
| 21. | Autoclave normal type for waste management | | |
| 22. | Sprit Lamp | 4 | |
| 23. | Staining Rack | 4 | |
| 24. | Drying Rack | 4 | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Syringes | | |
| 26. | Filter papers | | |
| 27. | Paper Towels with dispenser | | |
| 28. | Aprons | | |
| 29. | Gloves | | |
| 30. | Bench for Patients | 1 | |
| 31. | LPG Gas with Burner | 2 | |
| 32. | Timers | 5 | |
| 33. | Table small | 2 | |
| 34. | Table (Big) | 1 | |
| 35. | Chairs | 5 | |
| 36. | Cupboard | 1 | |
| 37. | Glass wear (Beaker, measuring cylinder, colonical flask, pippets) | | |
| 38. | Syringes | | |
| 39. | Filter papers | | |
| 40. | Paper Towels with dispenser | | |
| 41. | Gloves | | |
| 42. | Shelder/shoes | 6 | |
| 43. | Inbuilt Sink (for water sanitation) | | |
| 44. | Computer with printer and Internet facility | 1 set | |
| 45. | Wall watch | 1 | |
| 46. | AC sets | | |

(ख) एक्सरे

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Digital X-Ray Machine | 1 | |
| 2. | AC Sets | 1 | |
| 3. | Printer sets | 1 | |
| 4. | Telephone sets | 1 | |
| 5. | Table | 2 | |

प्रदेश सचिव

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Revolving chair | 2 | |
| 7. | Bench for Patients waiting | 1 | |
| 8. | X-Ray plate | | |

(ग) ओ.पी.डी

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | BP sets Normal | 3 | |
| 2. | BP Sets Digital | 2 | |
| 3. | Stethoscope Litmus classic III | 4 | |
| 4. | Standard | 5 | |
| 5. | Thermometer Digital | 10 | |
| 6. | Knee Hammer steel with touch and presser | 4 | |
| 7. | Turning fork | 4 | |
| 8. | Torch Light | 4 | |
| 9. | Weighing machine | 4 | |
| 10. | Tongue Dee pressure | | |
| 11. | Basin with water supply | | |
| 12. | File cabinet/ cupboard table | 4 | |
| 13. | Table | 4 | |
| 14. | Chairs revolving for staffs | 4 | |
| 15. | Stools for patients | 4 | |
| 16. | Disposable Gloves | | |
| 17. | Wheel chair | 3 | |
| 18. | Staffs Lockers | 4 | |
| 19. | Preflight | 2 | |
| 20. | Overhead light | 2 | |
| 21. | AC | | |
| 22. | Dressing set | 3 | |
| 23. | Gauge Pack | | |
| 24. | Large Buckets for waste segregation | | |
| 25. | Phisiotherapy machine | 1 set | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

(घ) अन्तरंग

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Patients Beds | 15 | |
| 2. | Matters | 15 | |
| 3. | Pillows | 15 | |
| 4. | Blankets | 15 | |
| 5. | Bed Covers | 15 | |
| 6. | Large Buckets for waste segregation | 10 | |
| 7. | Table | 5 | |
| 8. | Medicine Trolley | 15 | |
| 9. | Patients Screen | 5 | |
| 10. | Cupboard | 2 | |
| 11. | Bed Side Lockers | 15 | |
| 12. | Television sets | | |
| 13. | UV lights | | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

अनुसूची ३

(दफा ८ उपदफा (२) संग सम्बन्धित)

केन्द्रको कार्यालय, भण्डार कक्ष, भान्सा घर, परामर्श, तालिम/सभा कक्ष र अवासीय कक्ष आदिका लागि आवश्यक फर्निचर तथा अन्य सामग्री विवरण

(क) कार्यालय कक्ष

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Office Table | 3 | |
| 2. | Revolving Chair | 4 | |
| 3. | Sofa sets | 2 | |
| 4. | Tea Table | 2 | |
| 5. | Printer | 2 | |
| 6. | Photocopy machine | 1 | |
| 7. | Internet sets | 1 | |
| 8. | Telephone sets | 1 | |
| 9. | Cupboard | 2 | |
| 10. | File cabinet | 5 | |
| 11. | Scan Machine sets | 1 | |

(ख) भण्डार कक्ष

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Store Rack (Iron fitting) | 2 | |
| 2. | Table | 2 | |
| 3. | Revolving chair for staff | 2 | |
| 4. | File Cabinet | 5 | |
| 5. | Cupboard | 2 | |
| 6. | Chair | 2 | |
| 7. | Air conditions | | |

(ग) भान्सा घर

| S.N. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Stove Burner [4 Burner] | 1 | |

प्रदेश सचिव

कृष्णप्रसाद पुडेदी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Gas Cylinder | 4 | |
| 3. | Rice Cooker [5 Kgs] | 2 | |
| 4. | Pressure Cooker [2.5 Kgs] | 1 | |
| 5. | Pressure Cooker [5 Kgs] | 1 | |
| 6. | Sauce Pan [Small] | 1 | |
| 7. | Sauce Pan [Mediun] | 1 | |
| 8. | Sauce Pan [Large] | 1 | |
| 9. | Stock Pots [Service Pot] | 3 | |
| 10. | Food Storage Container | 3 | |
| 11. | Ladle [Small] | 1 | |
| 12. | Ladle [Medium] | 1 | |
| 13. | Ladle [Large] | 1 | |
| 14. | Service Spoon [Smaill] | 1 | |
| 15. | Service Spoon [Medium] | 1 | |
| 16. | Service Spoon [Large] | 1 | |
| 17. | Frying Pan [Smaill] | 1 | |
| 18. | Frying Pan [Medium] | 1 | |
| 19. | Frying Pan [Large] | 1 | |
| 20. | Tea Kettle [Small 2 liters] | 1 | |
| 21. | Tea Kettle [Medium 5 liters] | 1 | |
| 22. | Tea Strainer [Small] | 1 | |
| 23. | Tea Strainer [Medium] | 1 | |
| 24. | Dekche [Small] | 1 | |
| 25. | Dekche [Medium] | 2 | |
| 26. | Dekche [Large] | 2 | |
| 27. | Steel Bata [Smaill] | 1 | |
| 28. | Steel Bata [Medium] | 1 | |
| 29. | Steel Bata [Large] | 1 | |
| 30. | Steel Balti [Small] 5 liters | 1 | |
| 31. | Steel Balti [Medium] 7 liters | 1 | |
| 32. | Steel Balti [Large] 10 liters | 1 | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33. | Strainer [Medium] | 2 | |
| 34. | Cultery [Set] | 1 | |
| 35. | Vegetable Peeler | 3 | |
| 36. | Whisk | 2 | |
| 37. | Cutting Board | 2 | |
| 38. | Cutting Tables | 2 | |
| 39. | Colender [Vegetables Wash Containter Steel] | 4 | |
| 40. | Service Trally | 2 | |
| 41. | Squeezer | 2 | |
| 42. | Dinner Plates Steel | 18 | |
| 43. | Steel Glasses | 18 | |
| 44. | Steel Spoons | 18 | |
| 45. | Steel Fork | 18 | |
| 46. | Steel Bowl [Small] | 18 | |
| 47. | Steel Bowl [Medium] | 18 | |
| 48. | Steel Tea Cup [Regular] | 18 | |
| 49. | Steel Plates | 18 | |
| 50. | Tawa | 2 | |
| 51. | Belna | 2 | |
| 52. | Water Jugs [Regular] | 6 | |
| 53. | Dish Rack | 2 | |
| 54. | Trash Bin [Small] | 1 | |
| 55. | Trash Bin [Medium] | 1 | |
| 56. | Trash Bin [Large] | 1 | |
| 57. | Blender [Regular] | 1 | |
| 58. | Blender [Heavy] | 1 | |
| 59. | Chest Freeze | 1 | |
| 60. | Normal Freeze | 1 | |
| 61. | Storage Container [Masala] | 10 | |
| 62. | Storage Container [Tea and Sugar] | 2 | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुबेदी
मन्त्री

| | | | |
|---|---|---|---|
| 63. | Storage Container [Cookig Oil] | 2 | |
| 64. | Storage Container [Boxes Styles] Green Vegetables | 2 | |
| 65. | Storage Container [Boxes Styles] Dry Vegetables [Potates, Onion, Garlic, Ginger etc.] | 2 | |
| 66. | Television for Dinning Hall | 1 | |
| 67. | Dining Table big size | 1 | |

(घ) सभा कक्ष / तालिम कक्ष

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Meeting Chair | 25 | |
| 2. | Meeting Hall Table Round (Big) | 1 | |
| 3. | Wall watch | 1 | |
| 4. | White Board | 1 | |
| 5. | Projector | 1 | |
| 6. | Dust Bin | 1 | |
| 7. | Book Rack | 1 | |

(ङ) आवशीय कक्ष

| SN. | Name of materials | Quantity | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1. | Beds | 20 | |
| 2. | Matters | 20 | |
| 3. | Pillows | 20 | |
| 4. | Blankets | 20 | |
| 5. | Bed Covers | 20 | |
| 6. | Large Buckets for waste segregation | 8 | |
| 7. | Cupboard | 8 | |
| 8. | Tables | 8 | |
| 9. | Television sets | 8 | |
| 10. | UV lights | | |

प्रदेश सचिव

कृष्णराज सुवेदी
मन्त्री